# न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला— सलूम्बर

**बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 113/2022

**उनवान**

1. श्री कालुसिंह पिता अमरसिंह राजपुत, उम्र बालिग, निवासी झरमाल, शेषपुर, तह. झल्लारा, जिला सलूम्बर

**बनाम** **—प्रार्थी**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सलूम्बर जिला— सलूम्बर।

**—विपक्षी**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम**

**—::निर्णय::—**

कलेक्टर सलूम्बर ... जिला-सलूम्बर (राज.)

दिनांक : 21—05—2024

उपस्थितिः श्री गोतमलाल मीणा — प्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा — विपक्षी

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमी मौजा झरमाल पं.म. शेषपुर तह, सलूम्बर में खाता सं. 109—109 कुल किता 59 रकबा 8.35 हेक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कालुसिंह पिता अमरसिह का 1/9 हिस्सा है लेकिन राजस्व विभाग की गलती से उक्त भूमि में प्रार्थी कालुसिंह पिता अमरसिंह के बजाय प्रार्थी का नाम हिम्मतसिंह पिता अमरसिंह अंकित कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम कालुसिंह पिता अमरसिंह राजपुत है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर विगत कई वर्षो से आधिपत्य चला आ रहा है तथा प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि के अन्य सहखातेदार भी जानते है कि उक्त जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कालुसिंह के बजाय हिम्मतसिंह अंकित कर दिया है जबकि हिम्मतसिंह पिता अमरसिंह निवासी झरमाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मात्र त्रुटी से या राजस्व कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम कालुसिंह पिता अमरसिंह के स्थान पर हिम्मतसिंह पिता अमरसिंह नाम अंकित हो गया है जबकि वास्तविक नाम कालु सिंह पिता अमरसिंह है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त कराया जाना न्यायोचित है । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी का आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः निवेदन है कि मौजा झरमाल पं.म. शेषपुर में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमी खाता सं. 109—109 कुल किता 59 रकबा 8.35 हेक्टर में प्रार्थी का नाम हिम्मतसिंह पिता अमरसिंह के स्थान पर कालुसिंह पिता अमरसिंह दुरस्त कराये जाने का आदेश फरमायें ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया, प्रकरण में नायब तहसीलदार हाल तहसील झल्लारा ने जवाब पेश कर अंकित किया कि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रकरण संख्या–113 / 2022
उनवान–श्री कालुसिंह बनाम राज्य सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले.रे.एक्ट

ग्राम झरमाल की जमाबंदी सम्वत् 2058–2061 के खाता संख्या–02 में खातेदार अमरसिंह गमेरसिंह नवलसिंह पिता उदयसिंह राजपुत सा०देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड था। जिसके बाद अमरसिंह पिता उदयसिंह 1/3 की मृत्यु पश्चात् ग्राम झरमाल में नामान्तरण संख्या–47 में विरासत से अमरसिंह फोत के बजाय हिम्मतसिंह बहादुरसिंह पिता अमरसिंह मु केशर कुवर बेवा अमरसिंह 1/3 के नाम नामान्तरण 47 दिनाक 07.12.2001 को नामान्तरण स्वीकृत हुआ। प्रार्थी उक्त नामान्तरण में वारीसान का सजरा में अमरसिंह फोत से हिम्मत सिह (पुत्र) बहादुर सिंह (पुत्र) केशरकुंवर (पत्नि) के नाम दर्ज है। जिसको प्रशासन गावों के सग अभियान 2001 में स्वीकृत किया हुआ है। प्रार्थी का कहना है कि मेरा वास्तविक नाम कालुसिंह है लेकिन नामान्तरण में हिम्मतसिंह पिता अमरसिंह है।

प्रकरण में उभयपक्ष किं बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं नामान्तरण सं. 47 दिनांक 7–12–2001 के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का नाम विरासत से हिम्मतसिंह दर्ज है। रिकॉर्ड अवलोकन किया गया। नामान्तरण अपील का विषय था प्रार्थी ने गलत धारा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति मे धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी न्यायालय राहत प्राप्त नही कर सकता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का अस्वीकार योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला– सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर